

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका (एस/बी) सं 184 वर्ष 2006

अभिषेक कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

सचिव, गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखंड और अन्य

.....प्रतिवादी

श्री आलोक मेहरा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री एच. एम. रतुड़ी, प्रतिवादी सं. 1 और 3 के अधिवक्ता।

श्री संदीप कोठारी, श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी नं. 2 के अधिवक्ता।

निर्णय की तिथि:16.06.2010

निर्णय

कोरम: माननीय जे. एस. खेहर, सी. जे.।

माननीय सुधांशु धूलिया, जे.।

जे. एस. खेहर, सी. जे. (मौखिक)

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान रिट याचिका को निरर्थक बना दिया गया है और इसे निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, तत्काल रिट याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया जाता है।

(सुधांशु धूलिया, जे.)

16.06.2010

(जे. एस. खेहर, सी. जे.)

16.06.2010

अमित